

न्यायालय राजस्व मण्डल म. प्र. मोतीमहल ग्वालियर

प्र. क्र. रिव्यू/

/2015 खरगौन

31/12/15-8082-15

गजराज सिंह पिता जसवन्त सिंह पटेल
निवासी पटलारा मौहल्ला मण्डलेश्वर
तहसील महेश्वर, जिला खरगौन (म.प्र.)
— आवेदक

बनाम

श्रीमती कमला बाई बेबा सरदार सिंह
राजपूत, निवासी पटलारा मौहल्ला
मण्डलेश्वर तहसील महेश्वर, जिला
खरगौन (म.प्र.)

— अनावेदक

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 51 भू-राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध श्रीमान्

न्यायालय राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक निगरानी

308-III/2015 पारित आदेश दिनांक 02.12.2015

अक्षर

श्री योगेश्वर सिंह महारिषि आश्रम

द्वारा आज दि. 31-12-15 को

प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

31-12-2015

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रिव्यु 4135-पीबीआर/2015

जिला खरगौन

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर


13-01-2016


आवेदक अधिवक्तागण को रिव्यु प्रकरण की ग्राह्यता पर सुना गया । यह रिव्यु आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक निगरानी 308-तीन/15 में पारित आदेश दिनांक 02-12-2015 के विरुद्ध म0प्र0भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है ।

2- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रिव्यु आवेदन की ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :-

- 1/ नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी ।
- 2/ अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती ।
- 3/ कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है, उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है, इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । उभयपक्ष सूचित हों ।




(मनोज गोयल)
अध्यक्ष